

6/6/23

पत्रावली जारी करने के कारण
 पर पर कार्यालय के तबके को गड
 उभय पक्षकारों के अपना जमीनमा पत्र
 किया जो जोद तमरेक जमीन प्रमाण
 किया गया फरकां हवा आपन के जमीनके
 इस प्रकार वेडा किया है कि, जमीन फरकां
 ख.नं. 220/0-31, 240/0-33, 22/0-10, 20/0-06
 29/0-06, 31/0-06, 329/0-06, 41/0-23, 47/0-3
 48/0-34, 6/0-16, 65/0-24, 69/0-3, 7/0-24,
 77/0-36, 0/0-40 किता-15 रकबा-14.15 है
 बापे ग्राम उठामा तहसील कमी का पत्रकारके
 वंत्वाण का घोषणात्मक का मुकदमा जमीन के
 समस्त विचारधारा है। सिमसे मधी, किता
 के सख्तियों ने अपना 1/4 रकबा
 निम्न प्रकार किया है २४

1

ख.न. 69/0-51, 22/0-10, 20/0-06
 29/0-06, 220/0-31, किता-5 रकबा 1.05 है
 सतीशचन्द्र वं जगनलाल के हिस्से में रहेगी

2-

ख.नं. 47/0-13, 40/0-34, 329/0-06
 किता-3 रकबा-1.03 है तरवीकी जंतवाको
 वृजलाल के हिस्से में रहेगी

3-

ख.नं. 77/0-36, 4/0-23, 240/0-33
 310/0-06 किता-4 रकबा-1.04 है क.ज्या.

जन्मदिनांक - 21/01/1950
 जन्मस्थान - दिल्ली
 ख.नं. 6/0.16, 4/0.24, 9/0.40, 65/0.20 व
 309 प्रिन/0.04 कित्त-5 रकबा - 1.04 हैक्टैर
 परिवारी नं. - 1 जगनबाल के हिस्से में से -
 परिवारी नं. - 3 विनोद कुमार 3/0 श्रीराम डफ्टी
 श्रीराम के हिस्से में रहेगी।
 परिवारी नं. - 1 जगनबाल के अपने

1/4 हिस्से का दान पर मुकदमे से पूर्व कर
 किया था वो इस समय प्रभावहीन होगा।
 इसमें जो ख.नं. थे आपसी बंटवारे में अन्य
 पक्षकारों के हिस्से में जाने के कारण जगन
 बाल के हिस्से में आया ख.नं. विनोद कुमार
 परिवारी नं. 3 के हिस्से में जाने के कारण
 विनोद कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में
 दर्ज होगा। परिवारी नं. 1 जगनबाल के
 नाम कोई ख.नं. नहीं रहेगा। ख.नं.
 49/0.05 जे.मु. चाट्टे हिस्से में 1/2 हिस्सा
 तुलसीराम का और 1/2 हिस्सा जगनबाल
 हिस्सेदारान का है। समस्त हिस्सेदारान
 का वादस्ता बराबर-बराबर हिस्सा
 रहेगा। यानि की समस्त हिस्सेदारान
 यह हिस्सेदारान सिन्चर्ड वादस्ता बराबर
 करते रहेंगे। कुआ की मरम्मत व
 सिन्चर्ड डैज में जो भी खर्च होगा वह
 1/4, 1/4 के हिसाब से खर्च अदा करना
 होगा। जो हिस्सेदार डैज खर्चों ईस
 दोगल व्ययों के खर्चों के लिए पानी
 देन का अधिकार होगा। इस प्रकार
 विवादि आराजी मुहयकिया के संबंध
 में किसी प्रकार का विवाद बाकी नहीं है
 दावा वादी कर विनाय राजीनामा लिखी
 होकर समस्त हिस्से

अधिकार जो इस दस्तावेज की शर्तों में जारी है

राजस्थान सरकार का राजपत्र


राजस्थान रिकॉर्ड्स में दर्ज होगे। जिसमें प्रतिवादी नं. 1 को कोई उच्च श्रेणी नहीं है। अपना हिस्सा प्रतिवादी नं. 3 को हस्ता-हस्ता के निचे दे दिया। जो अपने नाम राजस्थान रिकॉर्ड्स में दर्ज करा पाने का अधिकारी है।

राजीनामा सभी पक्षकारों को पढकर सुनाया सभी ने अपनी-अपनी सहमति जाहिर की। पक्षकारों की पहचान बायोमेट्रिक से श्री राजेश्वर प्रसाद शर्मा एवं प्रतिवादी नं. 3 की पक्षकारों की शोर से श्री बाबुलाल Meel. द्वारा की गई। राजीनामा पक्षकारों की स्वीकृति के अनुसार स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

इसमें राजीनामा व पत्रावली का आवलोकन एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ममन किया पक्षकारों को सुना। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार दावा ठिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश दिया जाता है कि राजीनामा के अनुसार दावा रकम - 53, 00, 00, व 100 के तहत दावा ठिकी किया जाता है। पत्रावली नमक से कम किया जाके केवल शुमार ही वाद तकमील तामील दायिल दफ्तल है।

निर्णय आज दिनांक 26/06/2023 को मुझे न्यायालय पढकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०